छोटई बनाम शंकर

दिनांक 13–05–2022

पत्रावली पुकार पर पेश। वादीगण अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 7 ग मय समर्थित शपथ पत्र 8 ग पर एकपक्षीय रुप से सुना। प्रार्थना पत्र 7 ग वादीगण द्वारा वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी बरंग लाल अन्तर्गत आराजी सं० 288 रकबा 0.065 हे० के बावत शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु लाया गया है। वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को विवादित संपत्ति के बावत पूर्णतया स्ट्रैजर होने का कथन किया गया है। प्रार्थना पत्र 7 ग के माध्यम से वादीगण द्वारा प्रकरण में अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा फर्द सबूत 10 ग के माध्यम से खतौनी 11 ग, खसरा 12 ग व राजस्व मैप की प्रतिलिपि 13 ग संलग्न किया गया है।

वादीगण द्वारा वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी बरंग लाल अन्तर्गत आराजी सं० 288 रकबा 0.065 हे० के बावत एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों मे वादसंपत्ति के संरक्षण एवं विवाद के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु अग्रिम तिथि तक एकपक्षीय रुप से यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष वादपत्र के अन्त मे दर्शित विवादित भूमि अक्षर ए, बी, सी, डी बरंग लाल अन्तर्गत आराजी सं० 288 रकबा 0.065 हे० के बावत नियत तिथि तक यथास्थिति कायम रखेंगे। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण त्वरित पैरवी करे। यथास्थिति का आदेश अग्रिम तिथि पर यथोचित आधार पाये जाने पर ही अग्रसारित किया जायेगा। यथास्थिति का आदेश केवल पक्षकारों पर प्रभावी होगा। वादीगण आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करे तथा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करे कि प्रार्थना पत्र 7 ग के निस्तारण हेतु सदैव तत्पर व तैयार रहेगी। वास्ते आपत्ति निस्तारण 7 ग दिनांक 13–07–2022 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर

दिनांक 13–05–2022

प्रार्थना–पत्र 9 ग पर सुना, स्वीकृत। वादीगण पैरवी अन्दर 3 दिन करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन उक्त प्रार्थना–पत्र के प्रकाश में अपनी आख्या नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करे।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर